आदेश

अधोहस्ताक्षरी के द्वारा दिनांक 04–10–.2024 को सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, ऋषिकेश में किये गये औचक निरीक्षण पर (द्वारा निरीक्षण आख्या संख्या 03/वै0साहा0–2024, दिनांक 04–10–2024) पाया गया कि स्क्रूटनी कक्ष में तैनात श्री कमल प्रसाद गौड़, वरिष्ठ सहायक बिना कोई कार्य करते हुए उदासीन स्थिति में थे, जबकि कक्ष के बाहर लगभग 35–40 व्यक्ति प्रतीक्षा करते व्यथित पाये गये। 11AM –12PM बजे **Learner Driving licence Slot** में कुल 23 आवेदन पत्र, **Driving licence Slot** में कुल 36 आवेदन पत्र और **Driving licence Test** हेतु कुल 35 आवेदन पत्र सूचीबद्ध थे, परन्तु कार्य 11:40 बजे तक भी स्क्रूटनी प्रारम्भ होना नहीं पाया गया। स्क्रूटनी कक्ष में स्थापित सभी 05 कम्प्यूटर जो Learner's test के लिए थे, वे रिक्त पाये गये, जबकि बाहर सभी आवेदक/व्यक्ति लम्बे समय से प्रतीक्षारत थे। इन सभी कृत्यों से उक्त कार्मिक की कार्य के प्रति लापरवाही परिलक्षित होती है।

"निरीक्षण के समय वरिष्ठ सहायक श्री कमल प्रसाद गौड़ के पास उपलब्ध पत्रावली की जांच मुख्य विकास अधिकारी देहरादून द्वारा की गई। उक्त पत्रावली में एक श्री रविन्द्र कुमार का ड्राईविंग लाईसेंस एवं आवेदन पत्र पाया गया, जिसे वरिष्ठ सहायक श्री कमल प्रसाद गौड ने रविन्द्र कुमार को अपना परिचित बताया गया, जिसका डाईविंग लाईसेंस नवीनकरण हेतु उनके द्वारा पत्रावली में रखा जाना बताया गया। जब सम्बन्धित कार्मिक को उक्त व्यक्ति को अपने मोबाईल से फोन कर इसकी पुष्टि करने को कहा गया तो उनके मोबाईल पर उक्त व्यक्ति रविन्द्र कुमार का नम्बर होना नहीं पाया गया। सम्बन्धित पटल सहायक के उक्त व्यवहार एवं आचरण से स्पष्ट होता है कि उक्त कार्मिक की कार्यशैली संदिग्ध प्रतीत होती है तथा राजकीय कार्य के प्रति उनके निराशाजनक एवं निष्ठाहीन कार्य प्रणाली की पुष्टि होती है।

चारधाम यात्रा भी अभी चल रही है तथा ए0आर0टी0ओ0 ऋषिकेश का कार्यालय चारधाम यात्रा का मुख्य केन्द्र बिन्दु है। इसके अतिरिक्त कार्यालय में चारधाम यात्रियों के वाहनों का पंजीकरण एवं उनके ग्रीन कार्ड इत्यादि का कार्य भी सम्पादित होता है तथा वर्तमान में अभी दैवीय आपदा का सीजन भी समाप्त नहीं हुआ है एवं सम्पूर्ण गढ़वाल क्षेत्र में **Disaster risk** के **Logistics** का प्रबन्धन करने हेतु भी ऋषिकेश ही आधार केन्द्र है।

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जिलाधिकारियों को प्रदत्त अधिकार सम्बन्धी जारी शासनादेश संख्या 1194/तीस–।/2016–12(6)16, दिनांक 06 जुलाई, 2016 के पैरा–2 में स्पष्ट है कि, "आपात स्थितियों के दौरान जिलाधिकारी को पूर्ण रूप से विभागाध्यक्ष के अधिकार प्राप्त रहेंगे।" इसी क्रम में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0 267/सु0भ्र0उ0ज0से0वि0 /2012/02(11) 2012, दिनांक 11 सितम्बर, 2012 के पैरा–2(ख) के द्वारा भी जनपदीय विभागों के अनुश्रवण एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु शक्तियां प्रदत्त की गयी हैं।

अतएव उपरोक्त शासनादेश संख्या 1194/तीस–।/2016–12(6)16, दिनांक 06 जुलाई, एवं शासनादेश सं0 267/सु0भ्र0उ0ज0से0वि0 /2012/02(11) 2012, दिनांक 11 सितम्बर, 2012 में दी गयी व्यवस्था एवं निरीक्षण आख्या में उल्लिखित तथ्यों के आलोक में ए0आर0टी0ओ0 कार्यालय ऋषिकेश में तैनात् वरिष्ठ सहायक श्री कमल प्रसाद गौड़ को उनके पदेन दायित्वों के प्रति उदासीन रहने व आम जनमानस को परेशान एवं व्यथित करने तथा अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने तथा अनाश्यक रूप से अपरिचित का ड्राईविंग लाईसेन्स सरकारी फाइल में रखने व नियम विरूद्ध कार्य करने पर उत्तरांचल शासन, कार्मिक अनुभाग–2 से जारी अधिसूचना प्रकीर्ण सं0 237/कार्मिक–2/2003–55(25)2002, देहरादून 06 मार्च, 2003, उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003, के नियम 4(1) में उल्लिखित प्राविधान के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। उक्त निलम्बित कार्मिक अपने निलम्बन अवधि में उप जिलाधिकारी, डोईवाला कार्यालय से सम्बद्ध रहेंगे।

निलम्बन अवधि में श्री कमल प्रसाद गौड़ को वरिष्ठ सहायक को वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2 भाग दो से चार के मूल नियम –53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि

अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बाराबर देय होगी तथा उनहें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा किन्तु ऐसे कार्मिक को जीवन निर्वाह के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ता अथवा महंगाई भत्ते का उपांतिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन अवधि में इस शर्त के साथ देय होंगे जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिये उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं।

निलम्बित कार्मिक के विरूद्ध उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है। इस हेतु श्रीमती अर्पणा बहुगुणा, सहायक परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0 देहरादून को जांच अधिकारी नामित किया जाता है। जांच अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार अगले 15 दिन के अन्तर्गत जांच आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उपर्युक्त प्रस्तर में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि श्री कमल प्रसाद गौड़ इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगे हैं।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

05/10.

(सविन बंसल)
जिलाधिकारी
देहरादून।

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून

संख्या : 222/ए0जे0ए0–3/2024, दिनांक : 05–10–2024

प्रतिलिपि– निम्नांकित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून को इस अनुरोध के साथ उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के अनुसार उक्त प्रक्रिया पर औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें।
2– अपर जिलाधिकारी प्रशासन, देहरादून।
3– प्रभारी अधिकारी परिवहन कलेक्ट्रेट, देहरादून।
4– उप जिलाधिकारी ऋषिकेश/डोईवाला।
5– उप कोषाधिकारी ऋषिकेश।
6– सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ऋषिकेश ।
7– कार्यालय प्रति।

(सविन बंसल)
जिलाधिकारी
देहरादून।

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून

संख्या : 223 / ए0जे0ए0–3 / 2024, दिनांक : 05 अक्टूबर, 2024

कारण बताओ नोटिस

श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
ऋषिकेश।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 04–10–.2024 को सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, ऋषिकेश में किये गये औचक निरीक्षण पर जारी निरीक्षण आख्या संख्या 03 / वै0सहा0–2024, दिनांक 04–10–2024 के क्रम में जैसाकि निरीक्षण आख्या में उल्लेख है कि –

1– ए0आर0टी0ओ0 कार्यालय में स्क्रूटनी कक्ष के निरीक्षण के दौरान मौके पर श्री पवन कुमार, प्रधान सहायक एवं श्री कमल प्रसाद गौड़, वरिष्ठ सहायक कक्ष में बिना कार्य के उदासीन उपस्थित पाये गये। स्क्रूटिनी पंजिका के अवलोकन से विदित हुआ कि दिनांक 04.10.2024 को स्क्रूटनी हेतु कुल 40 आवेदन पत्र सूचीबद्ध थे, न तो स्क्रूटनी समय से प्रारम्भ ही की गई थी और न ही जिस कक्ष में स्क्रूटनी की जाती है, उस कक्ष में कोई भी आवेदक स्क्रूटनी हेतु उपस्थित था। कार्यालय के बाहर लगभग 35–40 व्यक्ति प्रतीक्षा करते व्यथित पाये गये। इससे स्पष्ट है कि सहायक सम्भागीय अधिकारी कार्यालय द्वारा आम जनमानस के कार्यों में कोई रूचि नही ला जा रही है। एवं ये कार्मिक अपने पदेन कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान नहीं है, कार्यालय कक्ष में सारे 05 कम्प्यूटर जो Learner's test के लिए थे, वे रिक्त पाये गये, जबकि बाहर सभी आवेदक / व्यक्ति लम्बे समय से प्रतीक्षारत पाये गये। यह सब तब घटित हो रहा है जब आप कार्यालय में निरन्तर रूप से उपस्थित हैं।

2– इसी क्रम में निरीक्षण के समय वरिष्ठ सहायक श्री कमल प्रसाद गौड़ के पास उपलब्ध पत्रावली की जांच मुख्य विकास अधिकारी देहरादून द्वारा की गई। उक्त पत्रावली में एक श्री रविन्द्र कुमार का ड्राईविंग लाईसेंस एवं आवेदन पत्र पाया गया। इस सम्बन्ध में पूछताछ करने पर वरिष्ठ सहायक श्री कमल प्रसाद गौड द्वारा बताया गया कि रविन्द्र कुमार मेरे परिचित व्यक्ति है, और उनका डाईविंग लाईसेंस नवीनकरण हेतु मेरे द्वारा पत्रावली में रखा गया है। सम्बन्धित पटल सहायक के उक्त व्यवहार एवं आचरण से स्पष्ट होता है कि उक्त कार्मिक की कार्यशैली संदिग्ध प्रतीत होती है तथा राजकीय कार्य के प्रति उनके निराशाजनक कार्य प्रणाली की पुष्टि होती है। जब सम्बन्धित कार्मिक को अपने परिचित जिनका ड्राईविंग लाईसेन्स पत्रावली में पाया गया उन्हें अपने मोबाईल से फोन कर इसकी पुष्टि करने को कहा गया तो उनके मोबाईल उक्त व्यक्ति रविन्द्र कुमार का नम्बर होना नहीं पाया गया। इससे भी स्पष्ट है कि आपका अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण नहीं है।

3– निरीक्षण के दौरान यह भी संज्ञान में आया है कि दिनांक 04.10.2024 को निरीक्षण के समय 11AM –12PM बजे Learner Driving licence Slot में कुल 23 आवेदन पत्र, Driving licence Slot में कुल 36 आवेदन पत्र और Driving licence Test हेतु कुल 35 आवेदन पत्र सूचीबद्ध होने पाय गये, परन्तु कार्य 11:40 बजे तक प्रारम्भ होना ही नहीं पाया गया। इससे प्रतीत होता है कि आप द्वारा अपने अधीनस्थ कार्मिकों के कार्य को देखा नहीं जाता हैं, यह आपकी लापरवाही एवं आम जनता के प्रति घोर असंवेदनसीलता का द्योतक है।

4– बायोमेट्रिक कक्ष में भी कोई आवेदक वायोमेट्रिक हेतु उपस्थित नहीं था एवं वायोमेट्रिक लेने का कार्य नहीं किया जा रहा था किन्तु कार्यालय परिसर में 25 से 30 व्यक्ति अपने कार्य हेतु इंतजार करते पाये गये। इससे प्रतीत होता है कि पदेन दायित्वों के प्रति उदासीनता बरती जा रही है।

वर्तमान में आपदा का सीजन अभी समाप्त नहीं हुआ है तथा चारधाम यात्रा भी अभी चल रही है तथा ए0आर0टी0ओ0 ऋषिकेश का कार्यालय चारधाम यात्रा के लिए मुख्य केन्द्र बिन्दु होने के साथ ही

कार्यालय से चारधाम यात्रियों के वाहनों का पंजीकरण एवं उनके ग्रीन कार्ड इत्यादि बनाये जाते हैं। सम्पूर्ण गढ़वाल क्षेत्र अन्तर्गत Disaster Risk Logistics management हेतु ऋषिकेश मुख्य आधार केन्द्र है। परन्तु ए0आर0टी0ओ0 कार्यालय में इस प्रकार से लापरवाही से आम जनमानस के साथ यात्रियों को भी असुविधा होना स्वाभाविक है। अतएव, उपरोक्त कमियों एवं कृत्यों के लिए कार्यालय प्रमुख के तौर पर आप उत्तरदायी हैं। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी के निर्देशानुसार आप अपना स्पष्टीकरण अगले 03 दिवस में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

05/10/24

(जय भारत सिंह)
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
देहरादून।

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– आयुक्त, परिवहन उत्तराखण्ड देहरादून।
2– सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून।

05/10/24

(जय भारत सिंह)
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
देहरादून।